न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0 / मुख्यालय) चौमूं, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

वाद संख्या :–80 / 2024

समुन्द्र सिंह बनाम अनिल वगै0

(वाद–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–13.11.2024

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 20 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थी / वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद पत्र तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों पर वाके ग्राम भोपावास, पटवार हल्का हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1139, 1140, 1141, 1144, 1145, 1149 / 1501, 1150 ता 1159, 1160 / 1322, 1161 / 1323, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 कुल किता 24 का कुल रकबा 7.42 है0 के सम्बन्ध में दिनांक 26.07.2024 को प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही अप्रार्थी / वादी द्वारा खसरा नम्बर 1139, 1140, 1141, 1144, 1145, 1149 / 1501 व 1164 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.50 है0 में अपना निहित हक हिस्सा 1 / 120 भाग सम्पूर्ण को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2024 को मदनलाल पुत्र भैरुराम, जाति धानका, निवासी 58, शान्ति नगर 1, नाडी का फाटक, चरण नदी, मुरलीपुरा, जयपुर राजस्थान को दिया जा चुका है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त क्रेता मदनलाल काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी / वादी द्वारा उक्त भूमियों का बैचान करने के उपरान्त सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए बिना कब्जे व हक अधिकार के बैचान की गई भूमियों को अन्य भूमियों में शामिल करते हुए गलत तरीके से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थी / वादी का बैचान की गई भूमियों में कोई हक हिस्सा ही शेष नहीं होने के कारण उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है जिस कारण वादी का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र में दिनांक 23.07.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने का कथन करते हुए वाद कारण उत्पन्न होने का कथन किया गया है जबकि दिनांक 23.07.2024 से पूर्व ही दिनांक 09.07.2024 को वादी द्वारा वाद पत्र में आराजीयात में से भूमि का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता मदनलाल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर किया जा चुका था तथा क्रय दिवस के उपरान्त मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं था, जिस कारण अप्राथी/वादी को उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण, वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा उक्त आराजीयात में से भूमि का बैचान वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही किया जा चुका था इसके बावजूद भी वादी द्वारा भूमि के क्रेता को पक्षकार संयोजित नहीं कर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पक्षकारों के कुसंयोजन के दोष से ग्रसित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादी के द्वारा विवादित भूमि में निहित हिस्सा 1/120 को वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही दिनांक 09.07.2024 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर दिया गया है। विवादित भूमि में वादी का कोई खातेदारी हक अधिकार शेष नहीं रहने से वादी का वाद, वाद कारण के अभाव में एवं बार्ड बाई लॉ हो जाता है जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 20 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 20 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0 / मुख्यालय),चौमूँ, जयपुर

—: पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

समुन्द्र सिंह पुत्र श्री शैतानमल जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र छीतर,
2. गोपीराम पुत्र भैरु,
3. श्रीमती चक्की देवी पत्नी शैतान,
4. जितेन्द्र पुत्र मनोज,
5. दिनेश पुत्र मनोज
6. धर्मेन्द्र पुत्र मनोज,
7. प्रभुदयाल पुत्र सुवा
8. श्रीमती प्रेमलता पत्नी मनोज
9. श्रीमती बिदामी देवी पत्नी नानूराम
10. मंजू देवी पुत्री नानूराम
11. मेवा देवी पत्नी शैतान
12. महेश पुत्र नानूराम
13. मिश्री देवी पुत्री शैतान
14. रेखा देवी पुत्री शैतान
15. रमेश पुत्र सुवा
16. रामजीलाल पुत्र सुवा
17. रामसिंह पुत्र शैतानमल
18. राव कुमार पुत्र शैतानमल
19. रोशन पुत्र नानूराम
20. लालचन्द पुत्र जगदीश
21. श्रवण कुमार पुत्र नानूराम
22. श्रवणी देवी पत्नी छीतर
23. सुनील पुत्र छीतर
24. सुरेन्द्र सिंह पुत्र शैतानमल
25. सीताराम पुत्र सुवा
26. सीमा देवी पुत्री शैतानमल
   समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम [illegible] तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
27. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र [illegible] जाति [illegible] ब्राह्मण, निवासी मन्दिर के पास, ग्राम दौलतपुरा बेनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

29. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार गोविन्दगढ, उप–तहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

30. उप–पंजीयक गोविन्दगढ, उप–तहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

31. द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा स्थाई निषेधाज्ञा

(अ0 धारा 53, एव 188 आर.टी.एक्ट.)

मुकदमा नं0:–80 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 20 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.11.2024 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा.......

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		[illegible] कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		[illegible]	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner